5.4.2010

(1)

सेवा में,

अपीलीय अधिकारी / सचिव
राज्य सूचना आयोग,
उ० प्र०, लखनऊ

वाद - सुरेन्द्र कुमार तिवारी बनाम जिला होम्योपैथिक अधिकारी, खीरी

प्रकरण संख्या - S3 - 218907/09.

वाद तिथि - 5.4.2010

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सूचित करना है कि सुनवाई की सूचना 01.04.2010 को प्राप्त हुई है अतः 5/4/10 की सुनवाई हेतु मैं श्री सिद्धेश्वर कुमार तिवारी को अपना पक्ष रखने हेतु निर्धारित करता हूँ। कृपया मेरे स्थान पर श्री सिद्धेश्वर कुमार तिवारी पत्र वाहक को सुनवाई हेतु स्वीकृति देने की कृपा करें।

भवदीय / अपीलेंट

[signature] 5/4/10

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)
15 - सी, अलमोड़ा,
अणुशक्तिनगर, मुम्बई - 94

15006

राज्य सूचना आयोग, उ०प्र० लखनऊ

प्रकरण संख्या : S3-218907/09
सुरेन्द्र कु० तिवारी बनाम जि० होम्योपैथिक चि० अधि० खीरी

उक्त प्रकरण में दिनांक 5/4/10

निर्धारित है। आयोग के कक्ष संख्या 3 में

11 बजे सूचनाओं व अभिलेख सहित उपस्थित हों।

[signature]
कृते सचिव,
रा0 सू0 आयोग

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ... कार्यालय ... भवन
लखनऊ

2

SPEM 087081892IN 8.12.2009

Form – C

SECOND Appeal to the Appellate Authority
(under Section 19 of the Right to Information Act 2005)

Date : 7.12.2009.

To second Appellant Authority
U.P. State Information Commission,
615-A, Indira Bhawan, Ashok Marg
LUCKNOW (U.P.) PIN226001

1. Date of submission of the request (copy attached) to PIO : To PIO – 18.5.2009
To Next Authority (Appllent) : 5.10.2009

2. Date of reply, if any, received from Public Information Officer : PIO – 18.6.2009, wrote that stating no reply is required under 8 J RTI rule chapter 2.
Appllent Authority – letter dated 22.10.2009 attended on 23.11.2009 as per telephonic order.

3. (a) Particulars of Public Information Officer

Name : Shri Devendra Kumar, District Homeopathic officer Kheri (U.P) PIN 262701

Address : Appllent Authority – Shri Ram Awadh Premi PIO, Homeopathic Directorate U.P. 8th Floor, Indira Bhavan, Ashok Marg Lucknow.

4. Brief facts leading to appeal (please tick any one)

a) No response received : PIO quoted rule 8 J vide their letter 18.6.2009, 31.7.09, 16.9.2009 and neither gave copies of documents requested nor any information

✓ b) Aggrieved by the response : Appllent authority called meeting at Lucknow and I attended the same but P.I.O. submitted medical certificate and did not attend meeting.

5. Reasons for appeal being filed after prescribed period of 30 days from the date of submission of application to the above State Public Information Officer : This appeal is within 30 days after meeting attended with Appllent authority on 23.11.2009. No reply received till now i.e 7.12.2009 from appllent authority.

6. The relief sought :

1. PIO should provide requested information and documents requested.
2. Penalty to PIO for not providing information within 30 days misquoting RTI rule 8 J & 8 @ Rs 250/- per day
3. Compensation for mental Harrassment.
4. Compensation for postal & travel expenditure from PIO.
5. Any other relief as deemed fit by Competent authority.

(3)

7. Copies of documents relied upon by the applicant :
   1. Letter of PIO dated 22.10.09
   2. Appeal to PIO dated 5.10.2009
   3. Reply of PIO dated 16.9.09 & 31.7.09
   4. My request letter dated 25.5.08
   5. RTI application dated 18.5.2008 with enclosures
   6. My letter 29.6.2009

8. I Surendra Kumar Tiwari certify that details given above from SI.No. 1 to 7 are True as per my knowledge and belief.

9. Documents Enclosed : 1. RTI Application & above 6 documents.

9. Particulars of the applicant Signature:

[signature] 07.12.2008

Name: (SURENDRA KUMAR TIWARI)

Address: 15-C, ALMORA, ANUSHAKTI-NAGAR,
MUMBAI-400094

Mobile: 09969680100 Phone : 022-25994411

Email : neelkamal2008@hotmail.com

Date : 07.12.2008

(4)

<u>प्रमाडित डाक द्वारा</u>

सेवा में

श्रीमान जन सूचना अधिकारी ,
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक निदेशालय , इंदिरा भवन, लखनऊ

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम २००५ के अंतर्गत माँगी गयी सूचनाओ के न मिलने पर आपसे अपील तथा आप द्वारा निर्धारित तिथि २३.११.२००९ पर आपके कार्यालय में उपस्थित होकर बात चीत

महोदय ,

मेरे द्वारा की गयी अपील पर आपके द्वारा बताई तिथि पर उपस्थित होकर मैंने अपना पछ रखा , परन्तु डॉक्टर श्री देवेन्द्र कुमार डी.एच. ओ. खीरी उपस्थित न होकर चिकित्सा प्रमाणपत्र भेजा। महोदय ,कभी समय बीत चूका है,तथा आपके अपील पर निर्णय की प्रतिक्छा है।चुकि डॉक्टर श्री देवेन्द्र कुमार डी.एच. ओ. खीरी सेवानिवत्र होने जा रहे हैं ,इसलिए देरी न करते हुए मागी गयी सूचनाएं उनसे तुरंत उपलब्ध कराने हेतु आदेश देने की कृपा करें ।

11.12.2009

प्रार्थी

[signature] 11.12.2009

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

१५-सी अल्मोड़ा , अणुशक्ति नगर ,

भाभा परमाडु अनुसंधान केन्द्र कालोनी ,मुंबई-४०००९४

मोबाइल ०९९६९६८०१००

ANUSHAKTINAGAR (400094)
SP EM078920029IN
Counter No:1,OP-Code:01
Wt:10grams,
Amt:25.00 , 06/11/2009 , 12:21

(5)

सेवा में ,

श्री मान जन सूचना अधिकारी
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक निदेशालय , लखनऊ

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत जिला होमेओपैथिक अधिकारी खीरी के विरूद्ध अपील
सन्दर्भ ; आपका पत्र दिनांक जो पत्र की तिथि से ७ दिन बाद पोस्ट किया गया तथा मुझे दिनांक ५.११.२००९ के अपरान्ह मिला तथा मेरे पत्र दिनांक ५.११.२००९ के सम्बन्ध में ।

महोदय ,

कृपया उपरोक्त विषय तथा संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें उपरोक्त पत्र द्वारा जाँच में शामिल होने हेतु मुझे आपने ११.११.२००९ को ११ बजे अपने कार्यालय में बुलाया है। महोदय मैं भारत सरकार के उपक्रम में एक जिम्मेदार अधिकारी हूँ , तथा विभागीय कार्यो से राज्य के बाहर भी जाना पड़ता है, जिसके हेतु पूर्व में ही वायु एवं रेल आरक्छड़ कराया हुआ होता है तथा छोटी नोटिस की अवधी में मुंबई से लखनऊ का आरक्छड़ नहीं मिलता है अतः आप से निवेदन है कि;

१. मेरी अपील की सुनवाही दिनांक २१.११.२००९ को करने हेतु निवेदन किया जाता है तथा इस हेतु रेलवे आरक्छड़ करा लिया गया है । कृपया २१.११.२००९ की सुनवाही हेतु मेरे आवेदन पर ध्यान देते हुए सुनिश्चित करने की कृपा करें
२. चूकि मैं आपके कार्यालय लखनऊ से १२०० किलोमीटर की दूरी पर कार्यरत हूँ ,अतः निवेदन है कि जाँच एक ही सुनवाही में पूर्ण करने की कृपा करें। तथा अन्य जो भी सुचनाये मुझसे चाहिए पत्र द्वारा प्राप्त करने की कृपा करें ।
३. कृपया अपना दूरभाष मोबाइल नंबर व इ मेल देने की कृपा करें , जिससे मैं आपसे भविष्य में संपर्क रख सकू ।मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको पूर्व पत्र में सूचित कर चूका हूँ तथा पुनः सूचित कर रहा हूँ ।
४. स्पीड पोस्ट या कोरिएर पत्र लखनऊ से मुंबई पहुचने में कम से कम ७ दिन का समय लेता है । अतः पत्र डिलिवरी के समय को ध्यान में रखने की कृपा करें ।

मुझे पूर्ण विस्वास है कि आप मेरी परिस्थियों एवं दूरी को देखते हुए मुझे सुनवाही का दिनांक २१.११.२००९ को मौका अवश्य देंगे, तथा २१.११.२००९ की सुनवाही की स्वीकृति की सूचना मोबाइल द्वारा देने की कृपा करेंगे, क्योकि आपके द्वारा भेजे स्पीड पोस्ट या कोरिएर लखनऊ से मुंबई पहुचने में ७ दिन का समय लिया है ।

दिनांक ६.११.२००९

प्रार्थी
6.11.09

सुरेन्द्र कुमार तिवारी
१५-सी अल्मोडा , अणुशक्तिनगर मुंबई -४०००९४
मोबाइल ०९९६९ ६८०१०० , ई मेल : neelkamal2008@hotmail.com

मौखिक रूप से 23.11.2009 को बुलाया व वार्तालाप हुआ।
23/11/09

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

डा0 राम अवध प्रेमी,
जनसूचना अधिकारी,
होम्योपैथी निदेशालय,
उत्तर प्रदेश,8वॉं तल,
इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
15–सी, अल्मोड़ा, अणुशक्तिनगर,
मुंबई–400094

संख्या–नि0हो0/147/06/14714   लखनऊ : दिनॉक 22 अक्टूबर, 2009

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, लखीमपुर खीरी के विरूद्ध आपकी अपील दिनॉक 05–10–2009 एवं अपील दिनॉक 09–10–2009 की सुनवाई हेतु दिनॉक 11 नवम्बर, 2009 की तिथि निर्धारित की गयी है, अतः आपको सूचित करना है कि उक्त तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय,

RA

(राम अवध प्रेमी)
जनसूचना अधिकारी।

Through Courier SPEU 0927363856 IN
Dated 29.10.2009

Meeting attended at Directorate. [signature] 23/11/2009 (S.K. Tiwari)

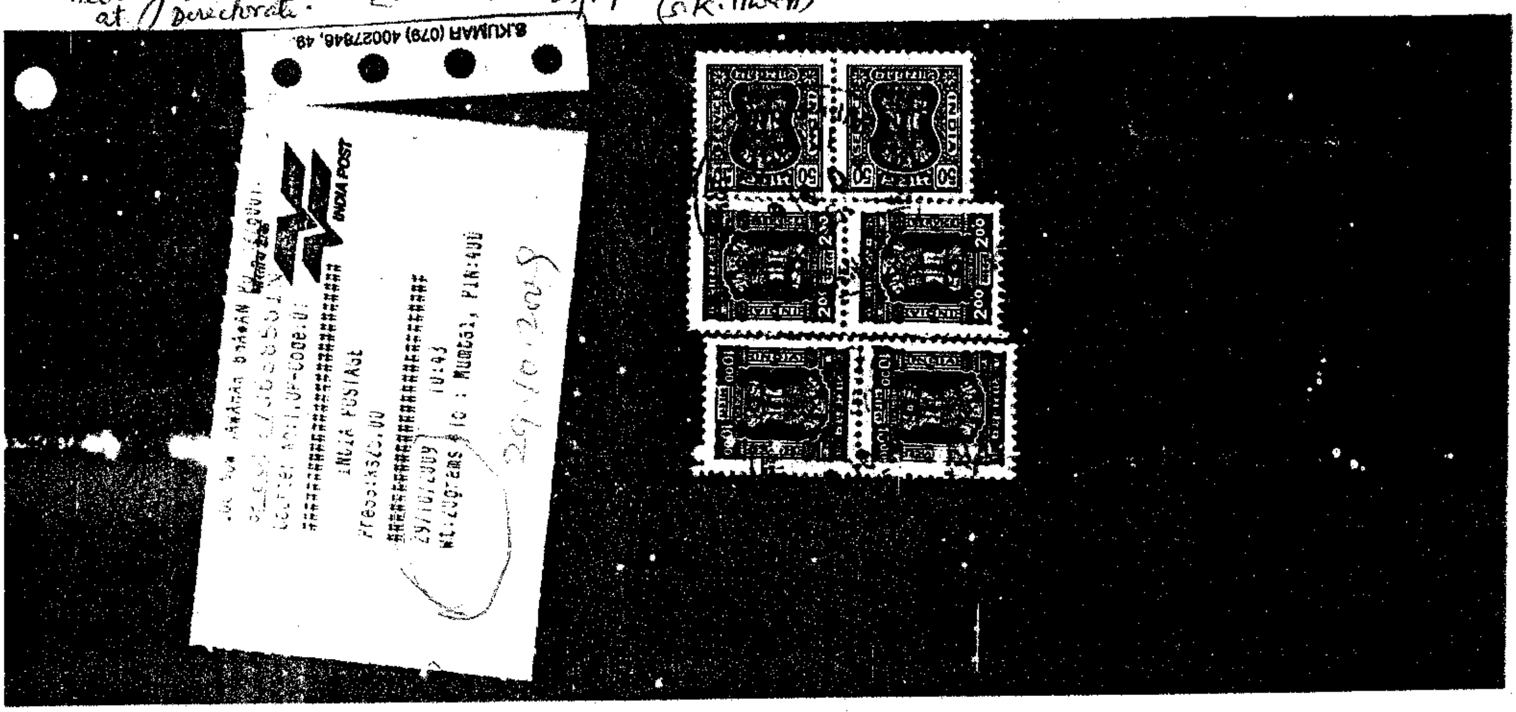

SPEM 054314532 IN
08.10.2009

SPEM 054314532 IN 08/10/2009
Assistant Director Homeopathic LUCKNOW

भारतीय डाक

India Post

(7)

8/10/2009

Form – C

First Appeal to the Appellate

(under Section 19 of the Right to Information Act 2005)

To Appealent officer/
Assistant Director (Homeopathic)
U.P. Homeopathic Directorate
6th Floor, Indira Bhavan, LUCKNOW (U.P)
PIN. 226001

Date : 5.10.2009

1. Date of submission of the request (copy attached) to PIO : 18.5.2009

2. Date of reply, if any, received from Public Information Officer : 18.6.2009 stating no reply is required under RTI Rule 8 J of Chapter - 2

3. (a) Particulars of Public Information Officer

Name : Dr. Shri Devendra Kumar, District Homeopathic
Address : officer (D.H.O.), District Hospital KHERI (U.P) PIN. 262701

4. Brief facts leading to appeal (please tick any one)

a) No response received :

b) Aggrieved by the response : ✓ P.I.O informed vide his letter dated 18.6.2009, 31.7.2009 and 16.9.2009 that under RTI rule chaper 2 Rule 8 J, no reply is required.

5. Reasons for appeal being filed after prescribed period of 30 days from the date of submission of application to the above State Public Information Officer : I requested P.I.O. vide my letter dated 29.6.2009 and last reply received from P.I.O is dated 16.9.2009. This appeal is filed within 30 days after last reply of P.I.O. Reply of PIO is not as per RTI Rule.

6. The relief sought :

1. P.I.O. should provide requested information and documents requested.
2. Penalty to P.I.O. for not providing information within 30 days misquoting RTI- Rule 8 J of chaper 2 @ Rs. 250/- per day.
3. Compensation for mental Harassment.
4. Compensation for postal expenditure etc.
5. Any other relief as deemed fit by Competent Authority.

7. Copies of documents relied upon by the applicant : 1. RTI Application dated 18.5.2009 with information requested.
2. DHO letter जि० स्वा० सं० अ०/09-10/1387 दिनांक 18.6.2009
3. My reply dated 29.6.2009
4. DHO letter जि० स्वा० सं० अ०/09-10/1824 दिनांक 31.7.2009
5. मेरे पत्र 3.8.2009 & 28.8.2009. 6. DHO पत्र दिनांक 16.9.2009

8. I Surendra Kumar Tiwari certify that details given above from Sl.No. 1 to 7 are True as per my knowledge and belief.

9. Documents Enclosed : 1. RTI Application & letters Total 6Nos as stated in Sl.No. 7

9. Particulars of the applicant Signature:

Enclosure: a.a (7 letters)

Name: (SURENDRA KUMAR TIWARI)

Address: 15-C, ALMORA, ANUSHAKTI-NAGAR, MUMBAI-400094

Mobile: 09969680100 Phone : 022-25994411

Email : neelkamal2008@hotmail.com

Date : 05.10.2009

SPEM 0543145 32 IN   08/10/2009

(9)

R.T.I. सूचना के अन्तर्गत

दिनांक 29/06/2009

सेवा मे,

जन सूचना अधिकारी
द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी (DHO), खीरी

विषय :- मेरे द्वारा R.T.I. अधिनियम 2005 के अन्तर्गत माँगी गयी सूचनायें (स्पीड पोस्ट सं. SPEM 054029930 IN दि. 20/5/2009) को अभी तक उपलब्ध न कराना

सन्दर्भ : आपके पत्रांक जि० हो० चि० अ० /09-10/1387 दि. 18.6.2009 जो 20/6/09 को स्पीड पोस्ट से भेजा गया तथा 23.6.2009 को प्राप्त हुआ

महोदय,
कृपया उपरोक्त विषय पर अपने पत्र दि. 18.6.2009 तथा मेरे द्वारा संलग्न RTI एक्ट के अध्याय 2 के नियम 8 J का सन्दर्भ लेवें जिसके सम्बंध में सादर सूचित करना है;

(1) मेरे द्वारा माँगी गयी सूचनाये RTI Act 2005 के अन्तर्गत आती है। अधिनियम के अन्तर्गत कुछ प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि व कुछ प्रश्नों के उत्तर माँगे गये हैं जो आपने अभी तक उपलब्ध नहीं कराये हैं।

(अ) पूर्व में चोरी लेवी/ रजिस्ट्रेशन चेन की पूर्ण जाँच रिपोर्ट व अन्तिम/फाइनल रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना जन हित में है तथा सूचना किसी की भी व्यक्तिगत नहीं है तथा यह प्रपत्र उपलब्ध न कराकर RTI Act 2005 के अध्याय 2 के नियम 8 जे के अन्तर्गत उपलब्ध न कराना RTI Act 2005 का अपमान है।

(ब) RTI प्रार्थनापत्र के क्रम संख्या 3 के क्रम 1 से 11 तक माँगी गयी सूचनायें किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत न होकर जन हित से सम्बंध रखती है। DHO महोदय का Head Quarter, DHO के जिला होम्यो० चिकित्सालय पर अधिकार, DHO कार्यालय में पत्रों एवं अवकाश प्रार्थनापत्र की रसीद Acknowledgement न देना तथा इस हेतु घूस (Bribe) माँगना, जिला होम्यो० चिकित्सालय में DHO द्वारा तलाशी लेना व जाँच रिपोर्ट न देना, चिकित्सालय स्टाफ को अपने कार्यालय में प्रयोग करना, फार्मेसिस्ट की दवाओं के प्रयोग की जाँच कर जाँच रिपोर्ट उपलब्ध न कराना आदि किसी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत सूचनाये न होकर जनहित की सूचनाये है तथा इनसे जनता को दी जाने वाली सुविधाओं पर प्रभाव पड़ता है। अतः आपका RTI Act 2005 के अध्याय 2 के नियम 8 जे के अन्तर्गत सूचनाये न देना RTI Act 2005 का अनादर व जान बूझकर सूचनाओं का छुपाना है। पूर्व में आपके पद पर कार्यरत पदाधिकारी ने इससे सम्बंधित अन्य सूचनायें उपलब्ध कराई हैं।

(2) चूंकि माँगी गई सूचनायें लोक सभा Parliament में देने से मना नहीं किया जा सकता अतः माँगी गई सूचनायें तुरन्त उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(3) कृपया पत्र पर मेरा पता स...

संलग्नक :- RTI Act अध्याय 2 8J

SPEM 0350 2322 IN
29.06.2009

भारतीय डाक
INDIA POST

ANUSHAKTINAGAR ...
SP EM...
Counter No:1, OP-Code:4
To:PUBLIC INFORMATION D.H.O.
KHERI, U.P, PIN:262701
From:B.K TIWARI, 16/C, ALKORA, A.S.NAGAR-94
Wt:10grams.

(10)

कृपया स्पष्ट करें कि डा० श्री मती कृष्णा तिवारी की सहमति बिना के
के आप चिकित्सालय में कार्यरत स्टाफ श्री राम कुमार अवस्थी को
6- कार्यालय में क्यों रखा। क्या इससे चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त जन सेवाओं पर प्रभाव नहीं पड़ा।

7- पूर्व प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला होम्यो चिकित्सालय, जिला अस्पताल खीरी के कार्यकाल में लेवी / रजिस्ट्रेशन का धन कार्यालय से चोरी हुआ था कृपया जाँच रिपोर्ट व उसकी अन्तिम/फाइनल रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें।

8- क्या आपको डा० श्री मती कृष्णा तिवारी ने सूचित किया था कि श्री राम कुमार अवस्थी फार्मेसिस्ट ने रविवार को बिना उनकी सूचना के ताला खोलकर कार्यालय सामग्री अपने घर ले गये हैं और आपने उस पर क्या कार्यवाही की।

9- जो दवायें एवं सामग्री आपके कार्यालय के श्री खालिद फार्मेसिस्ट द्वारा जिला होम्यो चिकित्सालय के श्री रामकुमार अवस्थी फार्मेसिस्ट को सीधे इस्यू कर दी जाती है उसकी लिखित information सूचना क्या डा० श्री मती कृष्णा तिवारी को आपके कार्यालय से दी जाती है।

10- आपके (DHO महोदय) व डा० श्री मती कृष्णा तिवारी द्वारा जब दवाओ के consumption हेतु निरीक्षण में Graphites का स्टाक एवं मरीजो की संख्या चेक की गई तो पाया गया कि केवल लगभग 10 मरीजो में 300 मरीजो की आवश्यकता की दवा consume दिखा दी गई है। इस पर आपने श्री आर० के० अवस्थी फार्मेसिस्ट के विरुद्ध क्या कार्यवाही की। जब एक दवा के निरीक्षण में इतना अन्तर आ रहा है तो बाकी दवाओ के दुरुपयोग को कैसे नकारा जा सकता है। श्री अवस्थी फार्मेसिस्ट द्वारा किये इस घटना की जाँच का आदेश आप कमेटी से क्यो नही कराते हैं।

11- पूर्व में भी DHO द्वारा अवकाश प्रार्थना पत्र डा० श्री मती कृष्णा तिवारी से लेकर प्राप्ति रसीद न देने से अन्तिम समय में अवकाश मना कर दिया जाता है जिससे रिजर्वेशन आदि कैन्सिल कराना पड़ा तथा धन राशि की हानि हुयी। अवकाश निवेदन प्रार्थना पत्र Advance में लेकर अवकाश स्वीकृत की सूचना समय पर डा० तिवारी को क्यो नही दी जाती। आवेदित अवकाश जो Advance में दिया हो की स्वीकृति न करने पर अर्जित अवकाश Lapse होने पर स्वीकृत अधिकारी को जिम्मेदार क्यो न समझा जाय।

(signature)
(S.K. Tiwari)

(11)

कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
[illegible]

पत्रांक- जि०हो०चि० अ०/09-10/1964 दिनांक 16-9-09

श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी
15-सी अलमोड़ा
अणुशक्ति नगर,
मुम्बई।

आप के पत्र दिनांक 28-8-2009 के सन्दर्भ में आप को अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक-1387 दिनांक 18-6-2009, 31-7-09 एवं 10-8-2009 के द्वारा स्पीड पोस्ट से आप को सूचित किया जा चुका है। कृपया पूर्व में प्रेषित पत्रों को अवलोकित करने का कष्ट करें।

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
[illegible]

(स्पी॰पो॰)

(12)

कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी लखीमपुर–खीरी

पत्रांक :: जि0हो0चि0अ0 / 09–10 / 1823 दिनांक :– 31 – 7 – 2009

श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी
19.C अल्मोड़ा अनुशक्तिनगर
मुम्बई–400094

आप द्वारा प्रेषित पत्र 01.07.2009 जो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 04.07.2009 को प्राप्त हुआ, के सम्बन्ध में आप द्वारा मांगी गयी सूचनायें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रश्नवाचक भाषा में अर्थात प्रश्नवाचक शैली में प्रश्न पूंछे गये हैं, के क्रम में अवगत कराना है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के नियम —— में दी गई व्यवस्था के अनुसार पूंछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी,
खीरी

(संलग्नक-7)

(13)

कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
खीरी।

पंत्राक जि0 हो0 चि0 अ0/09–10/ 1387 दिनांक 18/6/2009

श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी
19.C अल्मोडा, अनुशक्ति नगर
मुम्बई–400094

आप द्वारा सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत तत्थ्यात्मक पहलुओं से परे प्रश्नात्मक भाषा में अर्थात प्रश्नवाचक शैली में प्रश्न पूछे गये है, के क्रम में अवगत कराना है। कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के नियम 8 J मे दी गयी व्यवस्था के अुनसार प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नही है।

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
खीरी

SPEM 003583915 IN
01-07-2009

(B-1)

(14)

FORM 'A'

Form of application for seeking information under RTI Act -2005

(See rule 3)

To

The Public Information Officer (PIO)
Through , District Homeopathic Officer ,(DHO)
KHERI (U.P.) PIN-262701 .

1. Name of the Applicant :SURENDRA KUMAR TIWARI

2. Address :15-C, ALMORA, ANUSHAKTI-NAGAR MUMBAI-400094

3. Information sought :- As per enclosed Annexure herewith (3 Pages)

(Details should include separate paras for each information sought)

4. I state that information sought does not fall within the restrictions contained in the Section 8 & 9 of the Act and to best of my knowledge it pertains to your office.
5. This is to certify that I, SURENDRA KUMAR TIWARI son of SRI BRAJ KUMAR TIWARI , am a citizen of India.
6. A fee @ of Rs Twenty is enclosed in ~~cash~~ / vide postal order No. / ~~Demand draft~~ no. 69F 595095 drawn on Post office/Bank Anushakti-Nagar Mumbai-400094 .
   (No fees would be charged from the persons below poverty line)

Place : ANUSHAKTI-NAGAR- MUMBAI
Date : 01.07.2009

Enclosure :- Annexure -1 - 3 Pages
(संलग्नक -1, 3 पेज)

[signature] 01.07.2009
(Surendra Kumar Tiwari)
Signature of Applicant

Email : neelkamal2008@hotmail.com

Tel No. (Office) : 022-25994411
(Res) MOBILE: 09969680100
Postal Address : SURENDRA KUMAR TIWARI
15-C, ALMORA, ANUSHAKTI-NAGAR
MUMBAI-400094

Note : Please ensure that the Forma A is complete in all respect and there is no ambiguity in providing the details of information required.

B-2

15

प्रश्न संख्या 3 के अनुसार माँगी गई सूचनाओं का विवरण संलग्नक -1

1- कृपया सूचित करें कि अगर महिला चिकित्साधिकारी अपने पद के साथ प्रभारी का पद भार अस्थाई रूप से बिना अतिरिक्त वेतन भत्ते के सम्भालती है तो क्या महिला चिकित्साधिकारी के आकस्मिक या उपार्जित या अन्य अवकाश स्वीकृत अधिकारी बदल जायेगें। DHO महोदय महिला चिकित्साधिकारी जो जिला अस्पताल में कार्यरत हो कितने दिन का आकस्मिक, उपार्जित व अन्य अवकाश स्वीकृत करने के अधिकारी हैं। कृपया प्रभारी चिकित्साधिकारी के अवकाश (उपार्जित) स्वीकृत करने का शासनादेश / आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की भी कृपा करें।

2- वर्तमान कार्यरत तथा पूर्व में कार्यरत DHO महोदय द्वारा वर्ष 2001 से अब तक प्रभारी चिकित्साधिकारियो एवं महिला चिकित्साधिकारियो के उपार्जित अवकाश स्वीकृत की सूचना निम्न विवरण अनुसार देने की कृपा करें;

क्रम संख्या	महिला / प्रभारी चिकित्साधिकारी का नाम	पद	उपार्जित अवकाश की अवधि दि० से दि० तक	उपार्जित अवकाश की संख्या	स्वीकृत करनेवाले अधिकारी का नाम व पद
1.					
2.					
3.					
4.					
⁝					

कृपया सूचित करे कि क्या पूर्व मे किसी महिला चिकित्साधिकारी या चिकित्साधिकारी जो जिला चिकित्सालय में कार्यरत हो तथा 30 दिन से कम समय हेतु उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन किया हो, DHO महोदय द्वारा स्वयं स्वीकृत न कर मुख्यालय भेजा गया हो। अगर डा० तिवारी का अवकाश (उपार्जित) प्रार्थनापत्र DHO महोदय को स्वीकृत नही करना था तो क्यो उपार्जित अवकाश अंग्रेजी से हिन्दी में कराकर तथा दिनांक 7.6.2009 जो रविवार था को उपार्जित अवकाश में सम्मिलित कराया तथ लगभग 20 दिन से भी अधिक दिन तक उपार्जित अवकाश पर बिना कोई कार्यवाही किये रखे रखा। डा० तिवारी के कितने उपार्जित अवकाश पिछले 3 वर्षों में लैप्स हो गये हैं।

3- मरीजो के रजिस्ट्रेशन / लेवी से प्राप्त धन DHO कार्यालय में एक बार में क्यो नही जमा किया जाता है तथा मौखिक रूप से बार बार आपत्तियां लगाकर प्रभारी चिकित्साधिकारी को हतोत्साहित किया जाता है। मजबूरी में प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा यह धन मनीआर्डर तथा सम्बंधित सूचनाये रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजनी पड़ती है। इस तरह से खर्च मनीआर्डर कमीशन, स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पत्र, अन्य पत्र व्यवहार, फोटो स्टेट, स्टेशनरी, लिफाफे आदि में जो खर्चा प्रभारी चिकित्साधिकारी किया जाता है उसका भुगतान DHO महोदय के कार्यालय से क्यो नही भुगतान किया जाता है।

[signature]

(B-3)

16

डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी द्वारा सेलेक्शन ग्रेड लगाने हेतु आपके माध्यम से निदेशक महोदय को माह अप्रैल / मई 2009 में निवेदन किया था। क्या उनका पत्र अग्रसारित कर दिया गया था कृपया अग्रसारित पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें। क्या डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी का सेलेक्शन ग्रेड शासन / मुख्यालय से स्वीकृत होकर शासन आदेश / कार्यालय ज्ञाप / आदेश आपके कार्यालय को प्राप्त हो गया है। सेलेक्शन ग्रेड का पत्र आपको / कार्यालय को कब प्राप्त हुआ तथा क्या उसकी प्रतिलिपि / सूचना डा० तिवारी को दी। कृपया सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें। आपके कार्यालय में कार्यरत चिकित्साधिकारियों जिनको सेलेक्शन ग्रेड डा० तिवारी के साथ स्वीकृत हुआ हो क्या वेतन एरियर एवं संशोधित वेतन का भुगतान किया गया है। डा० तिवारी चिकित्साधिकारी के सेलेक्शन ग्रेड का एरियर कब तक भुगतान होने की सम्भावना है।

5- DHO महोदय द्वारा दिनांक 01.05.2009 को 11 बजे प्रातः किन तथ्यों / शिकायत के आधार पर प्रभारी चिकित्साधिकारी के स्टील कपबोर्ड की तलाशी ली गई / कृपया शिकायत की प्रमाणित प्रति तथा तलाशी में प्राप्त सामग्री का विवरण देने तथा कृत कार्यवाही का विवरण देने की कृपा करें। क्या D.H.O. महोदय प्रभारी चिकित्सा-अधिकारी जिला अस्पताल की तलाशी लेने के अधिकारी थे।

6. क्या श्री रामकुमार अवस्थी फार्मेसिस्ट ने चुनाव अवधि जो DM महोदय द्वारा घोषित की गई थी बिना आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराये बिना उपभोग किया। अवकाश प्रार्थना पत्र तथा उपस्थिति विवरण पर टिप्पणी देने पर भी DHO महोदय ने कोई कार्यवाही न करते हुये, और न DM महोदय की स्वीकृत अवकाश के बाद भी ली गई फिर भी उनका वेतन टिप्पणी के बाद भी DHO कार्यालय से निकाल दिया गया। जबकि प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आवेदित अवकाश D.M. महोदय द्वारा स्वीकृत करने के बाद अवकाश स्वीकृत किया गया। DHO महोदय के कार्यालय द्वारा इतनी उदारता श्री रामकुमार अवस्थी फार्मेसिस्ट हेतु क्यों दिखाई गयी कि जिला अधिकारी के आदेशों को एक तरफ रख उनका वेतन दिया गया तथा आज तक जिला अधिकारी महोदय द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं कराया गया है।

(signature)

(सुरेन्द्र कुमार तिवारी)

B-4

17

D.H.O. कार्यालय द्वारा एक एयर कन्डीशनर प्रभारी चिकित्साधिकारी कार्यालय हेतु डा० श्रीमती कृष्णा तिवारी से प्राप्ति रसीद श्री यू० खालिद फार्मेसिस्ट द्वारा ली गयी तथा उसकी फिटिंग श्री खालिद द्वारा कराई गई जिसमे A.C आग लगने से नष्ट हो गया। फिटिंग में कितना खर्चा आया, A.C. में आग कब लगी, A.C फिटिंग मेकेनिक को भुगतान किस तिथि में किया गया तथा किस मेकेनिक ने फिटिंग किया क्या वह अधिकृत इलेक्ट्रीशियन था।

8- जिला अस्पताल परिसर में प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय का आवास वेटित है वह कार्यरत प्रभारी चिकित्साधिकारी को क्यो नही दिया जा रहा है तथा D.H.O. महोदय स्वयं क्यो उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्या यह प्रभारी चिकित्साधिकारी को विभाग/शासन से प्रदत्त सुविधा का DHO महोदय द्वारा स्वयं प्रयोग कर नियमो का उल्लंघन व दुरुपयोग नही है।

9- DHO महोदय द्वारा कुछ रिक्तियो को भरने हेतु आवेदनपत्र मॉंगे गये थे तथा उनका साक्षात्कार जून 2009 में हुआ है। इस साक्षात्कार हेतु कितने आवेदन आये थे, कितने लोगो को साक्षात्कार में बुलाया गया तथा कितनो के चयन हेतु कार्यवाही की गयी। क्या निर्धारित शैक्षिक योग्यता से अधिक शैक्षित योग्यता रखने वाले के आवेदन को स्वीकार किया गया या अस्वीकृत कर दिया गया। कृपया साक्षात्कार कमेटी का स्वीकृत नोट/आदेश तथा साक्षात्कार कमेटी का विवरण देने की कृपा करें।

क्रम संख्या 1 से 9 तक उपरोक्त मॉंगी गई सभी सूचनाओं को लोकसभा या विधान सभा मे देने से इनकार नही किया जा सकता तथा सूचनाये जनहित में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मॉंगी जा रही है अत: सूचनाये देय है तथा सूचनाये नकारना RTI Act 2005 का सरासर अपमान होगा। अत: आपसे निवेदन है मॉंगी गयी सूचनाये प्रपत्र एवं विवरण उपलब्ध कराने की कृपा करें।

[signature]
.07.2009